न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **148/2024** दायर दिनाँक **24.06.2024**

वादी		**प्रतिवादी**
1.लच्छाराम पुत्र पूराराम जाति कुम्हार निवासी निम्बी खुर्द तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री पूर्णसिंह बोहरा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **25.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की एकल खातेदारी के कृषि भूमि वर्तमान खेत खसरा संख्या 113 रकबा 0.0700 है., खसरा संख्या 134 रकबा 1.6900 है0 (जिसमें रकबा 0.0500 गै.मु.रास्ता व रकबा 1.6400 बारानी 2) खसरा संख्या 302 रकबा 0.4900 है. खसरा संख्या 320/495 रकबा 0. 1000 है. वाके सरहद ग्राम निम्बी खुर्द पटवार हल्का निम्बी कलां तहसील डीडवाना में अवस्थित है। वर्तमान खसरा संख्या 133 व 134 के पुराने खसरा संख्या 404/176 है. व वर्तमान खसरा संख्या 302 के पुराने खसरा संख्या 432/386 है तथा वर्तमान खसरा संख्या 302/495 के पुराने खसरा संख्या 381 है। वादी की उक्त वर्तमान खसरा संख्या 134 रकबा 1.6900 है. में से 0.0500 है. भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित कर तरमीम कर दिया जो कि गलत है जबकि वादी की उक्त भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता नही है। संवत् 2067–2070 की नकल खतौनी से पूर्णरूप से स्पष्ट है उक्त खसरा नम्बर 134 के सम्पूर्ण भूमि की किस्म बारानी–2 रही है। अतः उक्त खसरा नम्बर 134 में से रकबा 0.0500 है. की किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर वादी की कृषि भूमि बारानी–2 की जानी न्यायोचित व प्रार्थनीय है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 1.6900 है. में से 0.0500 है. गै.मु.रास्ता के स्थान पर बारानी–2 राजस्व रेकर्ड में घोषित किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अंकित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शा में अमल दरामद किया जावे। वर्तमान खसरा संख्या 133 रकबा 0.0700 है. भूमि को खसरा नम्बर 134 रकबा 1.6900 में जोडा जाकर खसरा नम्बर [illegible] की कृपा करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक रीडर/2024/561 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा रिपोर्ट [illegible] हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का नि[illegible] की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:45:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम निमोद के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 1.

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

6900 है. में से 0.0500 है. गै.मु.रास्ता के स्थान पर बारानी–2 दुरूस्त करवाने की एवं खसरा संख्या 133 को हटाकर खसरा संख्या 134 के साथ जोडे जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार मौजा निम्बी खुर्द के खसरा नम्बर 133, 134, 302 व 320/495 की खातेदारी वर्तमान में वादी के नाम दर्ज है। वर्तमान खसरा संख्या 133 व 134 पुराने खसरा संख्या 404/176 व वर्तमान खसरा संख्या 302 पुराने खसरा संख्या 432/386 तथा खसरा संख्या 420/495 पुराने खसरा संख्या 381 से बने है। गत राजस्व रेकर्ड व वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अवलोकन किया गया। गत राजस्व रेकर्ड व वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। खसरा संख्या 133 व 134 के पुराने खसरा संख्या 404/176 के नक्शे में किसी प्रकार के रास्ते व विभाजन का अंकन नही है। वर्तमान स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 134 रकबा 1.69 है. में से 0.05 है0 भूमि का वर्गीकरण कर गै.मु.रास्ता दर्ज किया गया है परन्तु मौके पर किसी प्रकार के रास्ते के पदचिन्ह नहीं है। इसी प्रकार खसरा संख्या 133 रकबा 0.07 है0 भूमि जो मौके पर 134 का ही भाग है मौके पर 133 नम्बर खसरे का पृथक करने जैसा कोई पदचिन्ह नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम निम्बीखुर्द के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 1.6900 है. में से 0.0500 है. भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर बारानी–2 दुरूस्त की जाती है एवं खसरा संख्या 133 रकबा 0.0700 है. भूमि को खसरा नम्बर 134 रकबा 1.6900 में जोडा जाकर खसरा नम्बर 133 हटाया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.02.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:45:39 IST
Reason: SelfAttested